

अनुमति की शर्तें ।

- (i) जल भवन / पूलघड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की दृष्टि से निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी दायित्व के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नगरो के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त हो जा सकती है ।

एक खिड़की केवल आवासीय प्रयोजन

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 268 दिनांक 12/11/2020

भागीजहा के चतुर्थांश अंजाबी एवं 2 अंजाबी
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 प.नं०-3-क-12
बारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 21570/- जमा
करिये रसीद संख्या 2069/2173, 2174
दिनांक 12/11/2020 को जमा करा दी है ।

जी +1
आवासीय

12/11/2020

सहायक नगर निर्माता
नगर निगम, जोधपुर

(कमेश चव्हाण)

9829296155